न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 30 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 14.08.2023

राधेश्याम पुत्र कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 08.06.2023 मिसल नम्बर 02 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 01.01.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2023 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 547 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर डोल व तार चिरे खीचकर कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चात‌वर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4 / रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि/ गै0मु0 रास्ते की भूमि पर डोल प तार चिरे खीचकर कोई अतिक्रमण नही किया है। रास्ता आज भी पूर्णतया खुलासा हो रखा है,परन्तु पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र रंजिशवश रिपोर्ट तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेजी एंव मौखिक रूप से प्रस्तुत नही की है,जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलांट का मौके पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है। अपीलांट ने अपील मीमो के साथ ही दिनांक 02.08.2023 को विवादित

जिला कलेक्टर
टोंक

भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 547 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर डोल व तार चिरे खींचकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देंकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 547 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर डोल व तार चिरे खींचकर कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1202/2023 निर्णय दिनांक 17.01.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के साथ न्यायालय हाजा में दिनांक 02.08.2023 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी से कोई लेना–देना नही है,मौके पर जो कांटे बाड आदि थी,उसको मेरे द्वारा हटाकर रास्ते को खुलासा का दिया है,मौके पर मेरा कोई अतिक्रमण नही है,मे भविष्य मे उक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही करूंगा और ना ही ऐसी कोई भावना रखूगा। न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 29/2023 उनवान श्योजी बनाम नायब तहसीलदार सोप मे नायब तहसीलदार सोप ने अपने पत्र क्रमांक 914 दिनांक 20.10.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि खसरा नम्बर 547 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम फिरोजपुरा पर वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 08.06.2023 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 ओम प्रकाश बैरवा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक